निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

न्यायालय श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या:– 40/2017 दिनांक:– 20/6/17

उनवान:–

1– माधुलाल उर्फ माधवलाल पिता श्रीराम जी जाति कुमावत आयु 60 साल निवासी गाडरियावास तह0 छोटीसादडी

2– कंवरलाल पिता श्रीराम जी जाति कुमावत आयु 52 साल निवासी गाडरियावास तह0 छोटीसादडी

3– शिवनारायण पिता श्रीराम जी जाति कुमावत आयु 40 साल निवासी गाडरियावास तह0 छोटीसादडी

––वादीगण

:: बनाम ::

1– मथरीबाई पिता हमेरा उर्फ हेमराज पति दयाराम जी जाति कुमावत निवासी गाडरियावास तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ मृतक के बजाय:–

1/1– भंवरलाल पिता दयाराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चम्पी तह0 नीमच

1/2– भोरीराम पिता दयाराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी चम्पी तह0 नीमच

1/3– जगदीश पिता दयाराम जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी हुडको कॉलोनी, नीमच तह0 नीमच

1/4– गीताबाई पिता दयाराम पत्नि नरसिंह जी जाति कुमावत निवासी मोड जी का निम्नाणा तह0 निम्बाहेडा

1/5– कमलीबाई पिता दयाराम पत्नि मोहनलाल जी जाति कुमावत निवासी भाटखेडा तह0 नीमच

1/6– जशोदाबाई पिता दयाराम पत्नि शम्भूलाल जी जाति कुमावत निवासी कनगेटी तह0 मल्हारगढ

1/7– प्रेमबाई पिता दयाराम पत्नि जगदीश जी जाति कुमावत निवासी बसेडी कुण्डाल तह0 छोटीसादडी

1/8– सुरेश बाई पिता दयाराम पत्नि आशाराम जी जाति कुमावत निवासी चांदखेडा तह0 निम्बाहेडा

2– धापूबाई पिता हमेरा उर्फ हेमराज जी पति भुवानीराम जी जाति कुमावत निवासी गाडरियावास तह0 छोटीसादडी के बजाय:–

2/1– लक्ष्मीनरायण पिता भुवानीराम जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कनगेटी तह0 मल्हारगढ

2/2– चेनराम पिता भुवानीराम जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी कनगेटी तह0 मल्हारगढ

2/3– कमलाबाई पिता भुवानीराम जी पत्नि शांतिलाल जी जाति कुमावत निवासी बसेडी कुण्डाल तह0 छोटीसादडी

2/4– सुमित्रा पिता भुवानीराम जी जाति कुमावत निवासी कनगेटी तह0 मल्हारगढ

3– कस्तुरीबाई पिता हेमराज उर्फ हमेरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी गाडरियावास तह0 छोटीसादडी

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी (राजस्थान सरकार भूमिधारी)

––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि:-

1— कि मौजा गाडरियावास पटवार हल्का स्वरूपगंज तह0 छोटीसादडी में साबिक आराजी नं0 19/2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नं0 20 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी नं0 241 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा होकर उक्त आराजी हमेरा उर्फ हेमराज पिता मोती जी कुमावत निवासी गाडरियावास के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जिसके वर्तमान आराजी नं0 29 रकबा 0.45 हैक्टेयर, आराजी नं0 374 रकबा 2.08 हैक्टेयर, आराजी नं0 305 रकबा 0.92 हैक्टेयर हैं। इसी प्रकार आराजी मौजा भल्लां का खेडा पटवार हल्का स्वरूपगंज तह0 छोटीसादडी में साबिक आराजी नं0 134 रकबा 3 बिघा 9 बिस्वा, आराजी नं0 137 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा आराजी हेमराज पिता मोती जी कुमावत निवासी गाडरियावास के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जिसके वर्तमान आराजी नं0 230 रकबा 0.74 हैक्टेयर, आराजी नं0 216 रकबा 0.69 हैक्टेयर हैं। जिसको वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से अंकित किया गया हैं।

2— कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में हमेरा उर्फ हेमराज पिता मोती जाति कुमावत के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। हमेरा उर्फ हेमराज ने वादीगण के पिता श्रीराम को जाति समाज एवं पंचायती में गोद रखा था जिससे हमेरा उर्फ हेमराज की मृत्यु के बाद उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता श्रीराम पिता हमेरा उर्फ हेमराज के नाम विरासत से नामान्तरण खोला गया जिसकी ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 मौजा गाडरियावास एवं मौजा भल्लां का खेडा संलग्न हैं। हमेरा उर्फ हेमराज की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजीयात वादीगण के पिता श्रीराम के खातेदारी में दर्ज हुई किन्तु हमेरा की पत्नि राधीबाई जिवित होने से वादीगण के पिता श्रीराम की सहमति से उक्त समस्त वादग्रस्त आराजीयात राधी बेवा हमेरा उर्फ हेमराज के नाम पुनः नामान्तरण दर्ज किया गया जिसकी नकल नामान्तरण एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 की संलग्न हैं।

3— कि हमेरा उर्फ हेमराज की मृत्यु के पश्चात् वादीगण के पिता श्रीराम जी ने राधी बेवा हेमराज को अपनी माता के रूप में रखा और उनकी एक पुत्र की भांति सेवा सुश्रुषा की तथा राधी के बिमारी में उनका भली भांति इलाज कराया एवं राधी की तीनों पुत्रियों प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 मथरीबाई, धापूबाई एवं कस्तुरीबाई के हर सामाजिक रिती रिवाजों में एक भाई के रूप में हर प्रकार के खर्चों का निर्वाह किया। राधीबाई की मृत्यु सन् 1999 से पूर्व हो चुकी थी तथा वादग्रस्त आराजीयात पर राधीबाई के जीवनकाल से ही वादीगण के पिता श्रीराम उक्त आराजीयात पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे थे। राधीबाई की मृत्यु के पश्चात् उक्त समस्त वादग्रस्त आराजीयात गोदपुत्र होने के नाते वादीगण के पिता श्रीराम के नाम विरासत से नामान्तरण दर्ज किया जाना था किन्तु सहवन से राधीबाई की तीनों पुत्रियों के नाम विरासत से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जबकि सन् 2005 से पूर्व विवाहित पुत्रीयों का नाम विरासत से दर्ज नहीं किया जा सकता था जो विधि विरूद्ध होकर वादीगण के हितों पर कुठाराघात था जिससे वादग्रस्त आराजीयात में मथरीबाई, धापूबाई एवं कस्तुरीबाई का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम श्रीराम के बजाय जोडा जाना समुचित होकर आवश्यक हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी हैं। वादीगण श्रीराम के विधिक वारिसान हैं तथा वे उक्त आराजीयात अपने नाम घोषित के अधिकारी होने से यह वाद वास्ते घोषणा का पेश हैं।

4— कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण अपने पिता श्रीराम के जीवनकाल से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। मथरीबाई एवं धापू बाई का देहान्त हो चुका हैं जिससे उनके वारिसानों को उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया हैं तथा कस्तुरीबाई भी

वादीगण प्रतिवादीगण की जानकारी में रहते हुये वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो आना कह रहे हैं किन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जेकाश्त की आराजी पर से उपरोक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को विक्रय कर देने की कहा जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात को किसी प्रकार रहन बय बक्षिश या अन्य किसी प्रकार से अंतरित ना करें और ना ही वादीगण के यथास्थिति चले आ रहे कब्जे में दखलंदाजी करें करावें।

2— कि हमेरा उर्फ हेमराज की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजीयात वादीगण के पिता श्रीराम के खातेदारी में दर्ज हुई किन्तु हमेरा की पत्नि राधीबाई जिवित होने से वादीगण के पिता श्रीराम की सहमति से उक्त समस्त वादग्रस्त आराजीयात राधी बेवा हमेरा उर्फ हेमराज के नाम पुनः नामान्तरण दर्ज किया गया। तथा राधीबाई की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात वादीगण के पिता श्रीराम के नाम दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं होकर राधीबाई की तीनों पुत्रियों के नाम विरासत से दर्ज कर दी गई जबकि सन् 2005 से पूर्व पुत्रियों का किसी प्रकार से पैतृक आराजी में कोई हिस्सा घोषित नहीं किया जा सकता था जिससे वादग्रस्त आराजीयात में राधीबाई की तीनों पुत्रियों मथरीबाई, धापूबाई एवं कस्तुरीबाई का नाम विलोपित कर वादीगंण के नाम खातेदारी में घोषित किया जाना न्यायोचित होकर आवश्यक हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। दिनांक 06–06–2017 तक प्रतिवादीगण की ओर से न वकील उपस्थित एवं न ही प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। चुंकि जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे तनकीयात कायम नहीं की जा सकती।

वादीगण की ओर से दिनांक 14–06–2017 को वादी माधवलाल, कंवरलाल एवं शिवनारायण के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये तथा वादीगण ने दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम गाडरियावास सम्वत् 2068 से 71 खाता संख्या 124 की पेश की जो प्रदर्श 1 हैं, दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम गाडरियावास सम्वत् 2068 से 71 खाता संख्या 18 की पेश की जो प्रदर्श 2 हैं, दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम गाडरियावास सम्वत् 2068 से 71 खाता संख्या 135 की पेश की जो प्रदर्श 3 होकर वादीगण के नाम पर अंकित हैं, दस्तावेज नकल जमाबन्दी भल्लां का खेडा सम्वत् 2065 से 68 खाता संख्या 144 की पेश की जो प्रदर्श 4 हैं, दस्तावेज नकल जमाबन्दी मौजा गाडरियावास सम्वत् 2028 से 31 खाता संख्या 107 की पेश की जो प्रदर्श 5 हैं, दस्तावेज नकल जमाबन्दी मौजा भल्लां का खेडा सम्वत् 2017 से 20 खाता संख्या 38 की पेश की जो प्रदर्श 6 हैं, दस्तावेज नकल जमाबन्दी मौजा भल्लां का खेडा सम्वत् 2029 से 32 खाता संख्या 86 की पेश की जो प्रदर्श 7 हैं, दस्तावेज नकल जमाबन्दी मौजा भल्लां का खेडा सम्वत् 2032 से 35 की खाता संख्या 91 की पेश की जो प्रदर्श 8 हैं, दस्तावेज नकल मिलान क्षैत्रफल मौजा गाडरियावास प्रदर्श 9, 10 एवं 11 हैं, दस्तावेज नकल मिलान क्षैत्रफल मौजा भल्लां का खेडा प्रदर्श 12 हैं, दस्तावेज नकल नामान्तरण मौजा गाडरियावास संख्या 73 की पेश की जो प्रदर्श 13 हैं, दस्तावेज नकल नामान्तरण संख्या 99 मौजा गाडरियावास की पेश की जो प्रदर्श 14 हैं, दस्तावेज नकल नामान्तरण संख्या 109 मौजा गाडरियावास की पेश की जो प्रदर्श 15 हैं, दस्तावेज नकल नामान्तरण संख्या 76 मौजा भल्लां का खेडा की पेश की जो प्रदर्श 16 हैं, दस्तावेज नकल नामान्तरण संख्या 482 मौजा भल्लां का खेडा की पेश की जो प्रदर्श 17 होकर समस्त दस्तावेज वादीगण ने उपस्थित हो प्रदर्श कराये।

बहस एकपक्षीय सुनी गयी। वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को

2005 से पूर्व पैतृक आराजीयात में पुत्रियों का हिस्सा नहीं होने से मथरीबाई, धापू बाई एवं कस्तुरीबाई का नाम विलोपित करते हुये वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख की नकलों का गहनता से अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी मौजा गाडरियावास एवं मौजा भल्लां का खेडा पूर्व में हमेरा उर्फ हेमराज पिता मोती कुमावत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 6 व 13 से साबित हैं, तथा हमेरा उर्फ हेमराज पिता मोती के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था जिससे हमेरा उर्फ हेमराज ने वादीगण के पिता श्रीराम को गोद लिया जिससे हमेरा उर्फ हेमराज के देहान्त के पश्चात् वादग्रस्त आराजीयात मौजा गाडरियावास एवं मौजा भल्लां का खेडा में वादीगण के पिता श्रीराम के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया था जो दस्तावेज प्रदर्श 5, प्रदर्श 7, प्रदर्श, प्रदर्श 13, प्रदर्श, प्रदर्श 14, एवं प्रदर्श 16 से वादीगण ने साबित किया हैं। वादीगण के पिता श्रीराम के नाम नामान्तरण दर्ज होने के पश्चात् हमेरा उर्फ हेमराज की पत्नि राधीबाई के जिवित होने के कारण श्रीराम की सहमति से उक्त वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरण राधीबाई बेवा हमेरा उर्फ हेमराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो दस्तावेज प्रदर्श 4, प्रदर्श 8, प्रदर्श 14 से वादीगण ने साबित किया हैं। राधीबाई बेवा हमेरा उर्फ हेमराज कुमावत के देहान्त के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 मथरीबाई, कस्तुरीबाई, धापूबाई के नाम विरासत से नामान्तरण दर्ज होने के कारण दर्ज हो गयी जो प्रदर्श 1, 2 प्रदर्श 15, प्रदर्श 17 से वादीगण ने साबित किया हैं। चुंकि राधीबाई के देहावसान के पश्चात् उक्त समस्त आराजीयात वादीगण के पिता श्रीराम के नाम नामान्तरण से दर्ज की जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं कर राधीबाई की पुत्रियों के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जबकि हमेरा उर्फ हेमराज की मृत्यु सन् 1971 से पूर्व हो चुकी थी जो प्रदर्श 13 से साबित हैं तथा हमेरा की पत्नि राधीबाई की मृत्यु सन् 1999 से पूर्व हो चुकी थी जो प्रदर्श 15 से वादीगण ने साबित किया हैं। चुंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि सन् 2005 से पूर्व पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था फिर भी मथरीबाई, कस्तुरीबाई एवं धापूबाई के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया जो विधि सम्मत नहीं हैं तथा वादीगण के पिता श्रीराम जो कि हमेरा उर्फ हेमराज के एकमात्र गोदीपुत्र थे के नाम व श्रीराम के देहावसान के पश्चात् वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं कर त्रुटि की गई हैं जबकि मौके पर वादीगण का विवादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा होना साबित हैं जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादग्रस्त सम्पत्ति में खातेदार मथरीबाई, कस्तुरीबाई एवं धापूबाई का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता हैं कि मौजा गाडरियावास प0ह0 स्वरूपगंज के खसरा नं0 29 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नं0 374 रकबा 2.08 हैक्टेयर, ख0नं0 305 रकबा 0.92 हैक्टेयर कुल कीता 3 कुल रकबा 3.45 हैक्टेयर एवं मौजा भल्लां का खेडा पटवार हल्का स्वरूपगंज के खसरा नं0 230 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 216 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर पर वादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करें। इसी अनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20-6-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़